Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Year ... 111/19

Number of Case ... फौ 120/12 ... Versus ... मो. जलील पुत्र ...

... अ. मयूम ...

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of ... of the ...
	प्रकरण मे आज स्टाफ की प्रगति रिपोर्ट पेश करने हेतु वकील श्रीमान ने अवसर चाहा चाहे जिसे अवसर दिया गया प्रकरण पुराने प्रकरणों की सूची मे जिनके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा शीघ्र निस्तारण के निर्देश है। आवश्यक कार्यवाही की पालना की निवल वास्ते पेश होने आज स्टाफ इकरारनामा हेतु दिनांक 3-7-2025 को पेश हो अपर जिला न्यायाधीश मकराना	
03-7-2025	पत्रावली पेश आज इकरारनामा स्टाफ होकर प्राप्त नहीं हुआ है प्रकरण पुराने प्रकरणों की सूची मे 03 नम्बर पर दर्ज है जिसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश है। राजस्थान उच्च न्यायालय से है। कलक्टर मुद्रांक नागौर को पत्र लिखा जावे। व प्रकरण का शीघ्र निस्तारण कर आज इकरारनामा शीघ्र	

Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of A.D.J. Court at Makrana

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

अपील 04/25 Versus मो० [illegible]

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	मिसल के असल रिकार्ड अधी. न्यायालय से मंगवाया जावे। [illegible] प्रार्थना पत्र पर [illegible] में [illegible] कार्यवाही की जावे। मिसल वास्ते इन्तजार असल रिकार्ड तलब हेतु दिनांक 10-7-2025 को पेश हो अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश मकराना	
10-7-25	वकील अपी. असल रिकार्ड प्राप्त होकर [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] पत्र लिखा जावे रिकार्ड शीघ्र भिजवाने का लिखा जावे मिसल वास्ते इन्तजार असल रिकार्ड तलब हेतु दिनांक 17-7-2025 को पेश हो अपर जिला एव सेशन न्यायाधीश मकराना	

Order Sheet (Subsequent)

CNR NUMBER ....

Number of Case .... Year ....

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of
17-7-25	[illegible] माल इकरारनामा स्थापित होकर प्राप्त नहीं हुआ है इस आशय से सम्पर्क करने पर न्यायालय इंदाज कलेक्टर लीडर ने प्रार्थना किया कि पत्रावली में आगामी दिनांक 21-7-2025 नियत है इस दिन पश्चात पेश होने पर पत्रावली का निस्तारण कर रिपोर्ट दी जाने का निवेदन किया। लिहाजा मुकदमात के अभिलेख को पाबन्द किया जाता है कि वे पक्षकारान दिनांक 21-7-2025 को न्यायालय इंदाज कलेक्टर में पेश रहें। मिसलवाके पेश होने माल स्थापित इकरारनामा हेतु दिनांक 24-7-2025 को पेश हो। [stamp: अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन]	
21/7/25	[illegible] मिसलवाके पेश होने किया स्थापित इकरारनामा हेतु ~~31.8.25~~ (31.7.25) को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	

Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of ....A.D.J. Court.................... at ....Makrana..........................

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

....अहसान वगैरह.................. Versus ....मो० सलीम..............................

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	31-7-2025 वकलाय उप० अपील स्थगनार्थ स्थापित होकर प्राप्त नहीं हुआ है जिला कलेक्टर पंजीयन मुद्रांक नागौर को प्रेषित जाने हो प्रकरण प्राप्त प्रकरणों की सूची में है जिसके शीघ्र निस्तारण के निर्देश हैं आवश्यक रूप से कार्यवाही की जावे जिससे प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही हो सके। मिसल वास्ते इन्तजार मसल स्थापित हेतु दिनांक 7-08-25 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	
	7-8-2025 वकलाय उप० श्रीमान P.O. साहब अवकाश पर विराजे हैं मिसल वास्ते इन्तजार मसल स्थापित हेतु दिनांक 14-8-2025 को पेश हो अपर जिला एवं ...	

.... Versus ....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief notes of the ...
	14-08-2025 पत्रावली उप॰ वकील प्रतिवादी संख्या 03 की ओर से 07 R11 व धारा 151 CPC का प्रा.पत्र पेश किया जिसकी नकल वकील वादी को दिलायी गयी, जवाब हेतु समय चाहा, चाहे अनुसार से समय दिया गया। [illegible] न्यायालय शुल्क के स्पष्ट होने तक असल इकरारनामा हेतु तलब की जाती है। मिसल वादी इन्तजार असल इकरारनामा एवं जवाब प्रा.पत्र 07 R11 CPC हेतु दिनांक 28-8-2025 को पेश हो। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना-कुचामन	
	28-8-25 पत्रावली उप॰ वकील वादी ने 07 R11 का जवाब प्रा.पत्र पेश किया जिसकी नकल दिलायी गयी। वकील प्रतिवादी ने [illegible] [illegible] को नोटिस हेतु पाबंद किया व आगामी पेशी पर कार्यवाही कर [illegible] [illegible] उठायी जावे।	मुताबिक वकील नोटिस प्राप्त हुए [illegible] Identified Sd/-

Form No. 123

(Order 24 Rule 7, Order 32 Rule 3)

Order Sheet

CNR NUMBER ....

Court of ....A.D.J. court.... at ....मकराना....

Kind of the Case ....

Number of Case .... Year ....

....[illegible] 9/25.... Versus ....मो० [illegible]....

Date	Order with initials of Presiding Officer	Brief note of compliance of the Order
	मिसल पेशे इन्तजार समन इश्तहारात एवं बाद जा.फ. 07 R 11 CPC हेतु दिनांक 04-09-2025 को पेश हो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	1/9/2025

न्यायालयः— अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश, मकराना
जिला डीडवाना—कुचामन

बउनवान—अब्दुल कयूम बनाम मोहम्मद सलीम व अन्य
किस्म—दीवानी मूल नंबर—120/12 सी.आई.एस. नंबर—111/19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
04-09-25	वादी अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादीगण अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि मुद्रांक अधिकारी ने प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिए बिना मनमाने तरीके से जल्दबाजी में दिनांक 18.08.2025 को आदेश पारित किया जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए रिव्यू प्रार्थना पत्र दिनांक 03.09.2025 को प्रस्तुत कर दिया जिसकी प्रमाणित प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। उक्त दस्तावेज दिनांक 01.08.2011 भाई बंटवारा अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है जिसे न्यायालय में प्रदर्शित कराने के लिए स्टाम्पित कराए जाने में समय लगने की पूर्ण संभावना है अतः मुद्रांक विभाग द्वारा कार्यवाही किए जाने व रिव्यू प्रार्थना पत्र का निस्तारण किए जाने तक प्रकरण में उचित समय दिए जाने बाबत निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र के संबंध में वादी अधिवक्ता ने कोई आपत्ति नही होना जाहिर किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संबंधित विधि का अध्ययन व परिशीलन किया गया। अवलोकन से प्रकट है कि हस्तगत प्रकरण में न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2025 को प्रतिवादीगण द्वारा पेश भाई बंटवारा दिनांक 01.08.2011 को रिकॉर्ड पर लेकर प्रदर्शित कराए जाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किया गया था जिसके संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय में रिट पीटिशन पेश की गई जिस पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.03.2025 को आदेश पारित किया। माननीय राजस्थान	

अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
मकराना जिला डीडवाना-कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	उच्च न्यायालय के आदेश की पालना में न्यायालय की दिनांक 03.04.2025 की आदेशिका अनुसार पारिवारिक बंटवारा दिनांक 01.08.2011 को पूर्ण स्टाम्पित कराए जाने हेतु कलक्टर (मुद्रांक) वृत सीकर को जरिए पत्रांक 111 दिनांक 09.04.2025 को पारिवारिक बंटवारे की प्रति रिकॉर्ड पर रखते हुए असल बंटवारा भिजवाया गया तत्पश्चात न्यायालय कलक्टर (मुद्रांक) वृत सीकर का पत्रांक रीडर/मौका रिपोर्ट/2025–26/2454 दिनांक 22.05.2025 के द्वारा उक्त दस्तावेज के संबंध में मुद्रांक प्रकरण संख्या 206/25 दर्ज कर नोटिस जारी किए जाकर तारीख पेशी नियत करने तथा आदिनांक तक पक्षकारान के उपस्थित नही होने बाबत सूचना दी गई जिस संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 22.05.2025 को पक्षकारान को संबंधित कार्यालय में उपस्थित होने हेतु निर्देश दिए जाकर पाबंद किया गया व नोटिस की प्रति दी गई उसके पश्चात न्यायालय द्वारा उक्त दस्तावेज को लौटाए जाने के संबंध में संबंधित कार्यालय को पत्र लिखे गए तत्पश्चात उक्त कार्यालय के पत्र कमांक रीडर/2025–26/3553 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा दर्जशुदा मुद्रांक प्रकरण संख्या 206/25 में दिनांक 18.08.2025 को निर्णय पारित कर मांग राशि कायम की गई थी। चूंकि उक्त दस्तावेज पारिवारिक बंटवारा दिनांक 01.08.2011 के संबंध में प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र पेश किया था और संबंधित कार्यालय द्वारा दिनांक 18.08.2025 को आदेश पारित किए जाने के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा निर्णित राशि जमा कराने हेतु उपस्थित नही हुए। **प्रकरण सन् 2012 से लंबित होकर पुराने प्रकरणो की सूची में नंबर 03 पर दर्ज है जिसके माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय से शीघ्र निस्तारण के निर्देश है** अतः ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यो व परिस्थितियो को देखते हुए प्रतिवादीगण द्वारा पेश धारा	

अपर जिला न्यायाधीश
मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
	151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से प्रतिवादीगण को न्यायहित में एक अंतिम अवसर प्रदान किया जाता है। आगामी पेशी पर अन्तिम उचित आदेश पारित किया जावेगा पत्रावली वास्ते आदेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी दिनांक 11.09.2025 को पेश हो। Ashe Choudhary अपर जिला न्यायाधीश मकराना, जिला डीडवाना–कुचामन	